



कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय भानपुरी जिला - बस्तर (छ0ग0)

Email Id-gcbhanpuri@rediffmail.com

Website-www.govtcollegebhanpuri.in

क्रमांक / 78 / स्था. / 2024,

भानपुरी, दिनांक 15/07/2024,

// अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन //

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि/राज स्था./2024, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 06.07.2024, एवं छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक 77/नि.स./स./उ.शि./2024, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 12.07.2024 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय भानपुरी में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल, अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक अपने समस्त प्रमाण-पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 26.07.2024 को सांय 05.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता:-

1. अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारियों को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक /ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु-1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ-साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम में संवाद कर पाठ्य-विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदन अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
3. आयु सीमा:- अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक। अतिथि ग्रंथपाल/अतिथि क्रीड़ा अधिकारी एवं अतिथि ग्रंथपाल सहायक/क्रीड़ा सहायक अधिकतम 62 वर्ष तक।
4. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

रिक्त पदों का विवरण:-


क्रं.	विषय का नाम	रिक्त पद	प्राध्यापक	सहायक प्राध्यापक
1	रसायन विज्ञान	02	01	01
2	वनस्पति विज्ञान	01	—	01
3	जन्तु विज्ञान	01	—	01
4	गणित	01	—	01
5	भौतिक विज्ञान	01	—	01
6	अंग्रेजी	01	—	01
7	समाजशास्त्र	01	—	01
8	राजनीति विज्ञान	01	—	01
9	वाणिज्य	01	—	01
	कुल योग	10	01	09

टीप - संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भरे जाने पर उक्त पद के विरुद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

क्रमशः 1/3

शर्तः-

1. आवेदन के साथ मूल निवास प्रमाण-पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर सेट/नेट एम.फिल/पी-एच.डी. अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
2. दिनांक 26.07.2024 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई-मेल से भेजे गये आवेदनों को मान्य नहीं किया जावेगा।
3. अंतिम तिथि तक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर निम्नानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
4. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईड पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईड नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के वेबसाईड में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईड में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।
5. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 05 दिवस तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक- को किया जावेगा जिसका अवलोकन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाईड अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।
7. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरुद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्ध शासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं जाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई हैं।
8. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
9. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।



प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय भानपुरी,
जिला-बस्तर (छ.ग.)

क्रमशः

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1	40-45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/-	300/-
2	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/- (41,600/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/- (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/-	350/-
4	चार कालखंडों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/- (50,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1400/- (35,000/-प्रतिमाह अधिकतम)
(स)	दैनिक मानदेय		
5	विवरण	अतिथि ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी	अतिथि ग्रंथपाल सहायक/अतिथि क्रीडा सहायक
	दैनिक मानदेय (प्रति दिवस न्यूनतम 07 घंटा कार्य अवधि)	1600/-प्रतिदिन (40,000/-प्रतिमाह अधिकतम)	1200/-प्रतिदिन (30,000/-प्रतिमाह अधिकतम)

- आवेदक बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता विश्वविद्यालय/प्राचार्य, एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।
- इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जायेगा और वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।
- संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
- इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीडा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
- यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।



 संस्था प्रमुख
 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम.....
 जिला-.....
 प्राचार्य
 शासकीय विश्वविद्यालय भनपुरी
 जिला-बस्तर (उ.प्र.)

3/3

पृ.क्रमांक / 79 / स्था. / 2024
प्रतिलिपि:-

भानपुरी, दिनांक / 15 / 07 / 2024

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक सी-30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर छ0ग0की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालयको इस निवेदन के साथ कि जनहित में सूचना पटल पर चस्पा करने का कष्ट करें।


प्राचार्य 15/07/24

शासकीय महाविद्यालय भानपुरी,
जिला-बस्तर (छ.ग.)
पिन-482001